बिहार सरकार
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्र संख्या : NHM/BHDS/116/2020 816 /NHM, पटना, दिनांक 30 अप्रैल, 2020

प्रेषक,

सचिव कृषि,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/पुलिस अधिक्षक

विषय : **पान मंडीयों में पान की क्रय–बिक्री की छूट देने के संबंध में।**

प्रसंग : **भारत सरकार, गृह मंत्रालय का पत्रांक 40–3/2020– DM-1 (A) दिनांक 25.03.2020 एवं 40–3/2020 –DM-1 (A) दिनांक 27.03.2020, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना का पत्रांक 711 दिनांक 13.04.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि पान उत्पादक कृषकों के द्वारा यह सूचित किया जा रहा है कि Lock Down में बिहार एवं उत्तर प्रदेश की पान मंडी तक जाकर पान बेचने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण उत्पादित पान खराब होने के साथ–साथ आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का पत्रांक 40–3/2020– DM-1 (A) दिनांक 25.03.2020 एवं 40–3/2020 –DM-1 (A) दिनांक 27.03.2020 के द्वारा कृषि कार्यों को Lock Down से मुक्त रखा गया है, पान एक कृषि उत्पाद है।

अतः निदेश है कि पान उत्पादक कृषकों को विभिन्न मंडीयों में पान की क्रय–बिक्री पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाय, ताकि पान उत्पादक कृषकों को किसी प्रकार का क्षति का सामना न करना पड़े।

विश्वासभाजन,

29/04/2020

सचिव कृषि,
बिहार।

ज्ञापांक– 816 पटना, दिनांक 30 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि– प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटीत), पटना को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि बाजार समितियों में पान की क्रय–बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई जाय।

29/04/2020

सचिव कृषि,
बिहार।

ज्ञापांक–816 पटना, दिनांक 30 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि– सहायक निदेशक उद्यान, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/04/2020

सचिव कृषि,
बिहार।

Letter dt. 27.04.2020

Scanned with CamScanner